## झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची WP (C) नंबर 3384/2020

मो. अकबर ..... याचिकाकर्ता

बनाम

- 1. झारखण्ड राज्य
- 2. उपायुक्त, धनबाद
- 3 जिला योजना अधिकारी, धनबाद
- 4 कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रभाग, धनबाद
- 5 सहायक अभियंता, लघु सिंचाई अनु-मंडल, टोपचांची, धनबाद उत्तरदाता

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेश शंकर

----

याचिकाकर्ता के लिएः श्री संजय प्रसाद, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिएः श्री मोहन कुमार दुबे, एजी के एसी

----

03/07. 01. 2021 वर्तमान रिट याचिका आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ली गई है।

याचिकाकर्ता के विद्वत अधिवक्ता श्री संजय प्रसाद, कुछ तर्कों के बाद, अनुबंध को पूरा करने के लिए विस्तार की मांग करने हेतु उपयुक्त प्राधिकारी के समक्ष मामले को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्रता के साथ वर्तमान रिट याचिका को वापस लेने की अनुमित चाहते हैं (कार्य सं. F2/2014-15) दिनांक 20.05.2014।

अनुमित दी जाती है। रिट याचिका को पूर्वोक्त के साथ वापस ले लिया गया है

(राजेश शंकर, न्याया0)

मनीष